

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-02/8/2017

संख्या-1/श्रम वि०ई०-8-8018/15 (खंड 1) श्र०सं०.....101...../डॉ० राम जयपाल सिंह,
(स्वारथ्य संवर्ग) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कंकड़बाग,
पटना को अगले आदेश तक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय,
कटिहार में शुक्रवार एवं शनिवार को प्रतिनियुक्त किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी घोषित किया जाता है।


संख्या-1/श्रम वि०ई०-8-8018/15 (खंड 1) श्र०सं०.....102...../डॉ० निर्मल कुमार तिवारी,
(श्रम संवर्ग) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, फुलवारीशरीफ,
पटना (बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, दीघा, पटना में
समायोजन प्रस्तावित) को अगले आदेश तक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा
चिकित्सालय, समस्तीपुर में शुक्रवार एवं शनिवार को प्रतिनियुक्त किया जाता है तथा निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

संख्या-1/श्रम वि०ई०-8-8018/15 (खंड 1) श्र०सं०.....102...../ पटना, दिनांक-02/8/2017
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०
को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय
मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त
सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी
राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/
सभी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/
मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी०
मैनेजर (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।